राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 106/2023

श्रीमती प्रियंका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 10.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर दिनांक 20.09.2018 को हुई थी और उसका परिवीक्षा काल दिनांक 20.09.2020 को पूर्ण हो गया तथा उसका वेतनमान आदेश दिनांक 02.11.2021 के द्वारा लेवल 14 स्वीकृत किया गया, जो दिनांक 20.09.2020 से माना गया, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशमी, चित्तौडगढ़ से गंगापुर, भीलवाडा किया गया, जहां पर अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.03.2021 को कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति के समय दो वर्ष की परिवीक्षा काल के लिए फिक्स वेतन 39300/– प्रति माह पर निर्धारित किया गया था और परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर वह नियमित वेतनमान एवं समस्त लाभ दिनांक 20.09.2020 से प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.11.2021 के द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान एवं समस्त लाभ नहीं दिए जाने पर अपीलार्थी ने दिनांक 20.01.2022 एवं 16.05.2022 को विभाग को

अभ्यावेदन प्रस्तुत किए परंतु विभाग द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया, जो राज्य सरकार की सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उसका परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत उसे नियमानुसार नियमित वेतनमान लेवल 14 का लाभ दिनांक 19.09.2020 से तथा समस्त वेतन परिलाभ प्रदान किए जावें और शेष राशि भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य